

राष्ट्रीय लोक अदालत  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 110/2021

छीताबाई पुत्री लाला पत्नी रामनिवास जाति कहार निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल  
हाल निवारा मणोली तहसील के० पाटन, बून्दी

.....वादिनी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट०**

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादिनी : श्री दयाकृष्ण धाकड़

दायरा दिनांक: 14.09.2021

निर्णय दिनांक : 11.02.2023

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिनी के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 107 खसरा नं० 123/5695 रकबा 0.32 है०, खसरा नं० 243 रकबा 0.18 है०, खसरा नं० 244 रकबा 0.13 है०, खसरा नं० 245 रकबा 0.21 है०, खसरा नं० 246 रकबा 0.24 है०, खसरा नं० 254 रकबा 0.41 है०, खसरा नं० 264 रकबा 0.20 है० कुल किता 7 कुल रकबा 1.69 है० वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादिनी का नाम छीताबाई पुत्री लाला के स्थान पर गोगा पुत्री लाला दर्ज हो रहा है। जबकि वादिनी का वास्तविक नाम छीताबाई पुत्री लाला है। जिसको वादिनी गोगा पुत्री लाला के स्थान पर छीताबाई पुत्री लाला दुरुस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादिनी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार आदि में छीताबाई पुत्री लाला दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में गोगा पुत्री लाला के स्थान पर छीताबाई पुत्री लाला दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम गोगा पुत्री लाला के स्थान छीताबाई पुत्री लाला दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 14.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:-राजस्व/2022/1306 दिनांक 17.08.2022 के अनुसार वादिनी गोगा पुत्री लाला व छीताबाई पुत्री लाला को दोनों नामों से जाने जाना पहचाना व बोला जाता है। दोनों नाम एक ही महिला के हैं। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम गोगा पुत्री लाला के स्थान पर गोगा उर्फ छीताबाई पुत्री लाला सा० देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर आराजी खाता संख्या 107 खसरा नं० 123/5695 रकबा 0.32 है०, खसरा नं० 243 रकबा 0.18 है०, खसरा नं० 244 रकबा 0.13 है०, खसरा नं० 245 रकबा 0.21 है०, खसरा नं० 246 रकबा 0.24 है०, खसरा नं० 254 रकबा 0.41 है०, खसरा नं० 264 रकबा 0.20 है० कुल किता 7 कुल रकबा 1.69 है० वाके ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादिनी का नाम गोगा पुत्री लाला के स्थान पर गोगा उर्फ छीताबाई पुत्री लाला दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, एवं इसके साथ-साथ यदि वादिनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादिनी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेआम सुनाया गया।